न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 23/2024

1. हरिप्रकाश पुत्र स्व० श्री सोयम प्रकाश उम्र करीबन 34 वर्ष
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व० श्री सोयम प्रकाश उम्र करीबन 30 वर्ष
3. रीना पुत्री स्व० श्री सोयम प्रकाश उम्र करीबन 36 वर्ष
सर्व जाति रेगर सर्व निवासी रेगरान मौहल्ला, नया शहर, किशनगढ़ जिल अजमेर राजस्थान । —प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पुत्र श्री लादू वल्द कृष्णा (फौत)
   1/1 गणपत पुत्र स्व० रामा
   1/2 मुन्ना पुत्र स्व० रामा
   1/3 श्योजी पुत्र स्व० रामा
   1/4 राधेश्याम पुत्र स्व० रामा
   1/5 गुलाब पुत्री स्व० रामा
2. पांचू पुत्र लादू वल्द कृष्णा
   2/1 कमला पत्नि स्व० पांचू
   2/2 हरीफुल पुत्र स्व० पांचू
   2/3 भागीरथ पुत्र. स्व० पांचू
   2/4 पुखराज पुत्र स्व० पांचू
   2/5 प्रेम पुत्री स्व० पांचू
   2/6 मान्ना पुत्री स्व० पांचू
3. लक्ष्मण पुत्र रामा सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. उपपंजीयक, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा

निर्णय दिनांक 06.04.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद संख्या 01/2015 बउनवानी हरिप्रकाश व अन्य बनाम रामा वगैरह का पेश किया गया है। प्रार्थीगण गरीब व अनपढ व्यक्ति है जो कमाने खाने बाहर आते—जाते रहते है प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने वाद पत्र की जानकारी लेते रहते थे परन्तु प्रार्थीगण शहर भटिण्डा (पंजाब) में ईट्टो के भट्टे पर कार्य करते है जो सपरिवार चले गये थे तब उपरोक्त समय में प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से मोबाइल पर सम्पर्क कर तारीख पेशी की जानकारी लेते रहते थे एवं अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी बताते थे जिससे पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में कोरोना महामारी के चलते एक जगह से दुसरी जगह जाने से प्रतिबन्ध लगा दिया गया एवं प्रार्थीगण की इसी उपरान्त गरीबी के कारण हालत खराब हो गयी एवं अपने गांव किशनगढ़ में आके अपने अधिवक्ता से फरवरी 2021 में सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी ली तो अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी की उक्त प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आपको हर तारीख पेशी आने की जरूरत नहीं है यह राजस्व प्रकरण है अपराधिक प्रकरण नहीं है आपके बयानों के समय आपको उपस्थित होना पड़ेगा तब प्रार्थीगण अपने कार्य करने के लिये अर्थात कमाने खाने बाहर चले गये एव फौन पर तारीख पेशी की जानकारी लेते रहे दिनांक 05.02.2024 को प्रार्थीगण किशनगढ़ आये एवं अन्य अधिवक्ता रूपेश शर्मा से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी लेने हेतु निवेदन किया तब अधिवक्ता रूपेश शर्मा द्वारा जानकारी करके बताया की उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, एवं परिवाद प्रस्तुत किया गया, प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता रूपेश शर्मा से दिनांक 12.02.2024 को सम्पर्क करके उपरोक्त प्रकरण की जानकारी लेने बाबत् पुनः निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करे तब प्रार्थीगण दिनांक 19.02.2024 को जानकारी हुई की दिनांक 25.07.2017 को प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारीज हो गया जिसके पश्चात् अविलम्ब रूप से प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.02.2024 को आवेदन किया एवं दिनांक 22.02.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् अविलम्ब रूप से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, वाद में नियुक्त अधिवक्ता की लापरवाही के कारण पक्षकार के बहुमूल्य अधिकार छिने नहीं जा सकते है प्रकरण प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति से सम्बन्धित हैं। प्रार्थीगण सद्‌भाविक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो प्रार्थीगण का वाद पत्र संख्या 01/2015 पुनः नम्बर पर लिये जाना आवश्यक है। जिससे वाद विवाद नहीं बढे, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की मृत्यु होने से उनके विधिक वारीसान को पक्षकार संयोजित किया गया है, एवं वादी संख्या 4 बीना पुत्री सोयम प्रकाश की मृत्यु होने से पक्षकार कायम नहीं किया गया है। उपरोक्त खारीज के आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.02.2024 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई तब अधिवक्ता रूपेश शर्मा को उक्त प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् कथन किये गये तब अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जो जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। परन्तु विधिक आक्षेपों से बचने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे है एवं माननीय न्यायालय में सद्‌भाविक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के प्रत्येक शर्तों की पालना करने के लिये तत्पर हैं। अतः श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारीत आदेश दिनांक 25.07.2017 को अपास्त करते हुये प्रार्थीगण के वाद पत्र संख्या 01/2015 बेउनवानी हरिप्रकाश व अन्य बनाम रामा वगैरह को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावें। हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं सपठित धारा 151 सी०पी०सी० वास्ते प्रार्थीगण के वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने बाबत् का पेश किया है। प्रार्थीगण गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है जो कमाने खाने बाहर आते–जाते रहते है प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने वाद पत्र की जानकारी लेते रहते थे परन्तु प्रार्थीगण शहर भटिण्डा (पंजाब) में ईट्टो के भट्टे पर कार्य करते है जो सपरिवार चले गये थे तब उपरोक्त समय में प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से फौन पर सम्पर्क कर तारीख पेशी की जानकारी लेते रहते थे एवं अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी बताते थे जिससे पश्चात् सम्पूर्ण विश्व मे कोरोना महामारी के चलते एक जगह से दुसरी जगह जाने से प्रतिबन्ध लगा दिया गया एवं प्रार्थीगण की इसी उपरान्त गरीबी के कारण हालत खराब हो गयी एवं अपने गांव किशनगढ़ में आके अपने अधिवक्ता से फरवरी 2021 में सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी ली तो अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी की उक्त प्रकरण में आपको हर तारीख पेशी आने की जरूरत नहीं है यह राजस्व प्रकरण है अपराधिक प्रकरण नहीं है आपके बयानों के समय आपको उपस्थित होना पड़ेगा तब प्रार्थीगण अपने कार्य करने के लिये अर्थात कमाने खाने बाहर चले गये एवं फौन पर तारीख पेशी की जानकारी लेते रहे दिनांक 05.02.2024 को प्रार्थीगण किशनगढ़ आये एवं अन्य अधिवक्ता रूपेश शर्मा से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी लेने हेतु निवेदन किया तब अधिवक्ता रूपेश शर्मा द्वारा जानकारी करके बताया की उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, एवं परिवाद प्रस्तुत किया गया, प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता रूपेश शर्मा से दिनांक 12.02.2024 को सम्पर्क करके उपरोक्त प्रकरण की जानकारी लेने बाबत् पुनः निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करे तब प्रार्थीगण दिनांक 19.02.2024 को जानकारी हुई की दिनांक 25.07.2017 को प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारीज हो गया जिसके पश्चात् अविलम्ब रूप से प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.02.2024 को आवेदन किया एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

दिनाक 23.03.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् अविलम्ब रूप से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, वाद में नियुक्त अधिवक्ता की लापरवाही के कारण पक्षकार के बहुमूल्य अधिकार छिने नहीं जा सकते है प्रकरण प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति से सम्बन्धित है। उपरोक्त खारीज के आदेश की जानकारी दिनांक 22.02.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी हुई तब अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् कथन किये गये तब अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जो जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। परन्तु विधिक आक्षेपों से बचने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के प्रत्येक शर्तों की पालना करने के लिये तत्पर हैं। जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है, अतः श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रकरण को पुनः नम्बर लेने बाबत् पेश प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षम्य किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 07.05.2024 तक भी अप्रार्थी संख्या 01/1 से 1/5 तथा 2/1 से 2/6 एवं 03 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या संख्या 01/1 से 1/5 तथा 2/1 से 2/6 एवं 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 07.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 03 व 1/2 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने बाबत का पेश किया गया जिसे दिनांक 25.09.2024 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण जवाब में नियत किया गया।

3. दिनांक 18.06.2025 को वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के तथ्यों के जवाब में निवेदन है कि प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय में गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर ग्राम काचरिया में स्थित भूमि खसरा संख्या 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था जिसके वाद संख्या 1/2015 थे जिसका उनवान हरिप्रकाश व अन्य बनाम रामा वगैरह था जो दिनांक 25.07.2017 को खारिज हो गया था। अतः उक्त पेरा का जवाब उक्त प्रकार से पेश है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर वाद में वर्णित भूमि खसरा संख्या 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के बाबत् माननीय न्यायालय में वाद पेश किया गया था, उक्त भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण / वादीगण का किसी तरह का कोई कब्जा / काश्त, हक, हिस्सा, अधिकार नही रहा है, ना ही है। ना ही प्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वजों का उक्त भूमि पर कभी भी किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, कब्जा, काश्त रहा है। प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा गलत व झूठी कहानी बनाकर जवाबकर्ता के पिता रामा व जवाबकर्ता के विरुद्ध वाद पेश किया गया था। प्रार्थीगण / वादीगण का वाद दिनांक 25.07.2017 को खारिज होने के पश्चात् 7 वर्ष बाद गलत व झूठी कहानी बनाकर प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण / वादीगण को प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश वाद को दिनांक 25.07.2017 को खारिज होने की जानकारी उक्त वाद के खारिज होने के समय से ही थी। प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा पूर्व में भी गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया था। वाद में वर्णित भूमि खसरा संख्या 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा पर प्रार्थीगण/वादीगण का कभी भी किसी तरह का कोई कब्जा, काश्त, हक, हिस्सा, अधिकार नही रहा है. ना ही प्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वजों का वाद में वर्णित भूमि पर कभी भी किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, कब्जा, काश्त रहा है। ना ही उक्त की खातेदारी में उक्त भूमि रही है. उक्त के बावजूद भी प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा वाद पेश किया गया था। प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा पेश वाद को दिनांक 25.07.2017 को खारिज होने के बाद 7 वर्ष पश्चात् गलत रूप से वाद में वर्णित भूमि में हक, हिस्सा, अधिकार बताकर गलत व झूठी कहानी बनाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा पूर्व में भी जवाबकर्ता के पिता रामा, जवाबकर्ता व पांचू के विरूद्ध गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर झूठी कहानी बनाकर वाद पेश किया गया था। प्रार्थीगण/वादीगण का वाद दिनांक 25.07.2017 को खारिज होने के बाद 7 वर्ष पश्चात पुनः गलत व झूठी कहानी बनाकर प्रश्नगत जवाबकर्ता के पिता रामा व पांचू की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय रामा व स्वर्गी पांचू के वारिसानों के विरूद्ध अविधिक रूप से गलत तथ्यों के आधार पर उक्त के वारिसानों को पक्षकार बनाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जवाबकर्ता के पिता रामा व पांचू की मृत्यु होने के बाद उक्त के वारिसानों को विधिक रूप से रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है, उक्त के बावजूद भी जवाबकर्ता के पिता रामा व पांचू की मृत्यु के बाद उक्त के वारिसानों के विरूद्ध अविधिक रूप से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाकर स्वर्गीय रामा व पांचू के वारिसानों को नोटिस भिजवाये गये है। प्रार्थीगण / वादीगण की ओर से पूर्व में पेश वाद में वादी संख्या 4 के रूप में बिना पुत्री स्वर्गीय श्री सोयम प्रकाश पक्षकार संयोजित थी. इस प्रकार उक्त की ओर से भी प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा बताया गया वाद पेश किया गया था, प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में उक्त की मृत्यु होना बताया गया है, परन्तु उक्त के वारिसानों के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई कथन अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से बताये गये पूर्व वाद में वादी संख्या 4 पक्षकार संयोजित होने एवं उसके वारिसान प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में संयोजित नही होने के कारण प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पक्षकारों के कुसंयोज एवं असंयोजन के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर झूठी कहानी बनाकर जवाबकर्ता के पिता रामा, जवाबकर्ता व पांचू के विरूद्ध वाद में वर्णित खसरा संख्या 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के बाबत् वाद पेश किया गया था। प्रार्थीगण/वादीगण का वाद दिनांक 25.07.2017 को खारिज होने के बाद जवाबकर्ता के पिता रामा व पांचू की मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय रामा व स्वर्गीय पांचू के वारिसानों को अविधिक रूप से पक्षकार बनाकर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर झूठी कहानी बनाकर 7 वर्ष पश्चात् प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा पेश वाद में वर्णित भूमि को जवाबकर्ता के पिता रामा व जवाबकर्ता के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24. 10.2019 के श्री मयंक बाघमार पुत्र श्री राजकुमार बाघमार जाति मेघवाल निवासी 6/14, गांधीनगर, सराना रोड़ शंकर कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर से राशि प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के पश्चात् एवं उक्त क्रेता मयंक बाघमार पुत्र श्री राजकुमार बाधमाकर के द्वारा उक्त भूमि का कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर क्षेत्र जयपुर के द्वारा जारी कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 3435 दिनांक 09.09.2022 को खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् खनिज अभियन्ता, अजमेर के द्वारा 50 वर्ष के लिए खनन लीज दिनांक 30.09.2022 को निष्पादित किये जाने के पश्चात् उक्त खनन लीज का पंजीयन उप पंजीयक किशनगढ द्वारा दिनांक 26. 12.2022 को किये जाने के पश्चात् उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहने एवं उक्त भूमि खनन लीज की भूमि होने के पश्चात् प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा मियाद बाहर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण / वादीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। अन्तिम पेरा में प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर झूठी कहानी बनाकर अविधिक रूप से खनन लीज की भूमि के बाबत् मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है, इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़ में स्थित भूमि खसरा संख्या 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि के बाबत् गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया था, उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/वादीगण का कभी भी किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, कब्जा, काश्त नही रहा है, ना ही उक्त की खातेदारी में उक्त भूमि कभी रही है, ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वजों का किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, कब्जा, काश्त कभी रहा है. ना ही उक्त की खातेदारी में उक्त भूमि रही है. उक्त के बावजूद भी प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर एवं झूठी कहानी बनाकर जवाबकर्ता के पिता रामा, जवाबकर्ता व पांचू के विरूद्ध दिनांक 30.12.2014 को माननीय न्यायालय में वाद पेश किया गया था। प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा पेश वाद दिनांक 25.07.2017 को खारिज हो गया था। प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा पेश वाद दिनांक 25.07.2017 को खारिज होने के पश्चात् उक्त को पुनः नम्बर पर पेश प्रार्थना पत्र की मियाद समाप्त होने के काफी समय पश्चात् जवाबकर्ता के पिता रामा व जवाबकर्ता के द्वारा वाद में वर्णित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2019 के श्री मयंक बाघमार पुत्र श्री राजकुमार बाघमार जाति मेघवाल निवासी 6/14, गांधीनगर, सराना रोड़ शंकर कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

Rajput
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

से राशि प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन सब रजिस्ट्रार किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 24.10.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 860 में पृष्ठ संख्या 86 क्रम संख्या 201903006105443 पर किया गया था जिसको अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2719 के पृष्ठ संख्या 309 से 321 पर चस्पा किया जा चुका है। इस प्रकार जवाबकर्ता के पिता रामा व जवाबकर्ता के द्वारा उक्त भूमि को उक्त क्रेता को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के पश्चात् जवाबकर्ता के पिता रामा व जवाबकर्ता का उक्त भूमि में किसी तरह का हक, हिस्सा, अधिकार नहीं रहा है, उक्त क्रेता मयंक बाघमार पुत्र श्री राजकुमार बाघमार का ही उक्त भूमि पर हक, हिस्सा, अधिकार, खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गया था। उक्त भूमि के क्रेता मयंक बाघमार पुत्र श्री राजकुमार बाघमार के द्वारा उक्त भूमि खसरा संख्या 58 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर खनन लीज पट्टा की कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर क्षेत्र जयपुर के द्वारा जारी कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 3435 दिनांक 09.09.2022 को स्वीकृत किये जाने के पश्चात् खनिज अभियन्ता, अजमेर के द्वारा उक्त भूमि पर 50 वर्ष के लिए खनन लीज दिनांक 30.09.2022 को निष्पादित की जा चुकी है। जिसके खनन लीज पट्टा का पंजीयन उप पंजीयक किशनगढ द्वारा दिनांक 26.12.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1006 के पृष्ठ संख्या 132 क्रम संख्या 202203006112709 पर किया गया है जिसको अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3304 पृष्ठ संख्या 347 से 361 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि ना होकर खनन लीज की पट्टा शुदा भूमि है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि नही रहने एवं उक्त भूमि खनन लीज की पट्टा शुदा भूमि होने के कारण उक्त खनन लीज की भूमि के सन्दर्भ में प्रकरण को श्रवण करने का श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही रहा है, इस कारण उक्त भूमि के बाबत् पेश वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् पेश प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नही रहने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा पेश वाद को दिनांक 25.07.2017 को खारिज कर दिया गया था। प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा वाद की खारिज होने के बाद खारिज होने की दिनांक से एक माह में वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने एवं प्रश्नगत प्रार्थना पत्र 07 वर्ष पश्चात् पेश किये जाने के कारण प्रार्थीगण / वादीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होकर प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने की कृपा करावें।

4. दिनांक 06.04.2026 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2017 से दिनांक 26.02.2024 लगभग 07 वर्ष की अवधि के विलम्ब का कोई ठोस एवं सन्तोषजनक कारण उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मूल वाद पत्र क्रमांक 01/2015 उनवान हरिप्रकाश बनाम रामा खारिजी दिनांक 25.07.2017 को पुनः प्रत्यास्थापन करने बाबत पेश किया गया है। प्रकरण क्रमांक 01/2015 उनवान हरिप्रकाश बनाम रामा में वादी अधिवक्ता को दिनांक 25.07.2017 को न्यायालय समय तक तीन बार आवाज लगवाई गई थी किन्तु वे अनुपस्थित रहे थे जिसके फलस्वरूप वादी का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 25.07.2017 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 25.07.2017 को वाद खारिज होने के बाद वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.02.2024 को रिस्टोरेशन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 26.02.2024 को दर्ज किया गया। दिनांक 25.07.2017 से दिनांक 26.02.2024 तक लगभग 07 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त पुनः प्रत्यास्थापन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा लगभग 07 वर्ष की अवधि के विलम्ब का कोई ठोस कारण उल्लेखित नहीं किया गया है जिससे धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके, साथ ही प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अपनी अनुपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतुक देने में असफल रहें हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Rajput

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C.No. 23/2024 हरिप्रकाश v/s रामा

06/4/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। वकील उत्तरपक्ष की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल हो।

NRajput

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़